लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत –जस्टाना

पीठासीन अधिकारी– विजेन्द्र कुमार मीना, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर	तारीख रजु	तारीख निर्णय
10 / 2016	22.01.16	16/5/18

रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र प्रभुदयाल शर्मा, ब्राहमण निवासी जस्टांना , तहसील बौंली– प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र बीरबल, जाति मीना, निवासी जस्टाना, तहसील बौंली
2. कमलप्रसाद पुत्र बीरबल, जाति मीना, निवासी जस्टाना, तहसील बौंली
3. राज्य सरकारी जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, बौंली

– अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक– 16/5/18

यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी ने इस आशय से पेश किया है कि ग्रम जस्टाना तहसील बौंली की तमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 495 के खसरा नंबर 2381 रकबा 1.15हेक्टर भूमि प्रार्थी की है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है जिसे राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1व 2 की खातेदारी में खसरा नंबर 1339 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि औंकार पुत्र रोडू शर्मा निवासी जस्टाना की खातेदारी में दर्ज है। इस खसरा नंबर 1339 का बंदोबस्त के बाद खतौनी बंदोबस्त संवत् 2004 से 2023 में नवीन नंबर1667 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा बना दिया गया जो इस खतौनी बंदोबस्त में बीरबल औंकार के नाम दर्ज है जबकि ग्राम जस्टाना में बीरबल पूत्र औंकार नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं था। इस खतौनी बंदोबस्त में ग्राम जस्टाना के ही बीरबल पुत्र कन्हैया मीना ने सेटिलमेंट विभाग के अमीन, पटवारी आदि से मिलकर औंकार पुत्र रोडू शर्मा का फर्जी वारिस बनकर बीरबल पुत्र दर्ज करवा लिया जबकि औंकार शर्मा के कोई पुत्र ही नहीं था ना ही उन्होने किसी पुत्र को गोद लिया था। इसी भूमि की संवत् 2030 से 2033 की जमाबंदी (खेवट खतौनी) में बीरबल मीना ने राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार से मिलकर व साजकर औंकार शर्मा की इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ब्राहमण जाति के स्थान पर मीना जाति करवा ली तथा इसी भूमि की जमाबंदी संवत् 2034 से 2039 में राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकाारियों ने बीरबल से साजकर बीरबल बीरबल वल्द औंकार के स्थान पर बीरबल वल्द कन्हैया मीना कर दिया। उक्त भूमि में खातेदार औंकार का नाम हजफ कर कन्हैया कर दिया जो कि बिना किसी नयालय के आदेश के कर दिया गया। इस जमाबंदी में औंकार के स्थान पर कन्हैया दर्ज करने से पूर्व राजस्व विभाग द्वारा इस बात पर भी गौर नहीं किया गया कि इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में पूर्व मेंकहीं भी कन्हैया का नाम दर्ज नहीं था गलती से बाद में बदलकर औंकार दर्ज हो गया है। केवल एकमात्र बीरबल को लाभ पहुँचाने के लिहाज से यह फर्जीवाड़ा कर दिया गया जो राजस्व

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

विभाग द्वारा अवैधानिक कार्य किया गया है। इस खसरा नंबर 1667 का हाल ही हुए बंदोबस्त के आदउ नया नंबर 2381 रकबा 1.15हेक्टर बना दिया गया जो कि वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1व 2 की खातेदारी में दर्ज है। जिसे कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी से हजफ करवाकर प्रार्थी अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सजरा अंकित करते हुए अंकितकिया है कि रोडू के औंकार अकेले पुत्र थे एवं औंकार के केवल पाँच पुत्रीयाँ ही थी, इनके पुत्र नहीं था। औंकार शर्मा ने अपने जीवनकाल में एक वकीयत दिनांक 03.05.1951 को अपनी पुत्री भूली पत्नी प्रभुदयाल के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवाई थी। जिसमें सम्पूर्ण भूमि की मालकिन एकमात्र भूली को बनाया गया था तथा श्री मति भूली देवी ने अपनी मृत्यु के पूर्व एक वयीयत अपने पुत्र रामेश्वर प्रसाद (प्रार्थी) के पक्ष में दिनांक 07.07. 1989 को उप पंजीयक बौंली के समक्ष तहरीर कर पंजीकृत करवाई थी। जिसके आधार पर आज प्रार्थी मृतक भूली देवी की सम्पूर्ण जायदाद का अकेला मालिक है। इस हैसियत से प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस विवादित भूमि को काफी वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सांझे बांट पर काश्त करने के लिए बता रखी थी जो आधा खाद बीज लेकर फसल का आधा हिस्सा देते आ रहे थे लेकिन दिनांक 25.10.15 को प्रार्थी अप्रार्थीगण के पास गया तो उन्होने कहा कि जमीन हमारे नाम दर्ज हो चूकी है। आज से इस भूमि पर हमारा ही कब्जा होगा। इस तरह की धमकी देकर प्रार्थी को वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद प्रार्थी के द्वारा इस भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकलें लेकर वादपत्र एवं यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबंद किया जावे कि वे ग्राम जस्टाना तहसील बौंली के खसरा नंबर 2381 रकबा 1.15 हेक्टा कृषि भूमि को रहन बेचान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया है कि खसरा नंबर 2381 रकबा 1.15 हेक्टर ग्राम जस्टाना अप्रार्थी संख्या 1व 2 की खातेदारी भूमि है जिस पर सदैव से ही उनका एवं उनके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। इस भूमि से प्रार्थी का कभी भी कोई वास्ता नहीं रहा है। संवत् 1992 से 2001 में खसरा नंबर 1339 रकबा 4 बीघरा 11 बिस्वा भूमि औंकार पुत्र रोडू शर्मा की खातेदारी में कभी भी नहीं रही है। चकबंदी खातेदारी का रजिस्टर नहीं होता है। खसरा नंबर 1339 से खसरा नंबर 1667 का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। बीरबल पुत्र औंकार नाम कि व्यक्ति ने हमारे खिलाफ दावा पोश कर रखा है वह व्यक्ति असली है या नहीं इसकी हमको जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र में अंकित सजरा, वसीयत से दिनांक 03.05.1951 व 07.07.1989 को प्रोबोट प्राप्त किया या नहीं ऐसा हवाला अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दिया है। प्रोबोट के अभाव में वसीयत से किसी प्रकार से अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थना पत्र के साथ कोई पंजीकृत असल वसीयत इस भूमि की पेश नहीं की है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

योग्य है। प्रार्थी द्वारा उनको उनको कभी भी उपरोक्त भूमि साझे–बांटे पर काश्त करने को नहीं बताई गई है। वह भूमि तो सदैव से ही हमारी खातेदारी की भूमि रही है। दिनांक 25.10.15 की बनावटी कहानी पेश की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से एपरोक्त विवादित भूमि मेरे पिता बीरबल की खातेदारी में चली आ रही है जो मीना जाति का सदस्य था। मीना जाति की भूमि किसी भी प्रकार से सवर्ण की खातेदारी में नहीं आ सकती है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जवाब के विशेष विवरण में जवाब में अंकित कथनों का दोहरान करते हुऐ उल्लेखित किया गया है कि एक दापा तथाकथित बीरबल बनाम मोती मु0 न0 114/14 श्रीमान के न्यायालय में पेश कर रखा है। जिससे इस भूमि की बीरबल भी घोषणा कर रहा है। इस प्रकार एक ही भूमि के दो घोषणा के दावे किसी प्रकार से नहीं चल सकते है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज येग्य है। उपरोक्त भूमि सदैव से ही हमारे पिता बीरबल की खातेदारी की भूमि रही है। बीरबल सदैव से ही प्रार्थी के पिता बीरबल का ब्जा एवं खातेदारी की रही है। एयका 85 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ है तथा 4 वर्ष स्वर्गवास हुऐं हो गये है। जब तक बीरबल जीवित था तब तक खेती स्वयं करता चला आ रही था। बीरबल के स्वर्गवास होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में उक्त भूमि आ गयी। तिस वर विधिवत केनरा बैंक द्वारा ऋण दिया जा चुका है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई दस्तावेजपेश नहीं किया है और औंकार के पिता का नाम रोडू शर्मा था तथा प्रार्थना पत्र के साथ असल वसीयत पेश नही की है तथा चसीयत के आधार पर प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। राजस्थान कास्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद से प्रथम बार ही इस भूमि का पर्चा बीरबल के नाम से जारी हुआ है जो हमारा पिता था। जिससे प्रार्थी का कोई वास्ता नहीं है। तब से हमारा लगातार ब्जा काश्त चला आ रही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होने से प्राईमाफेसी केस एवं सुविधा का संजुलन अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र समर्थन में रजिस् टर चकबंदी, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत्2030–33, खतोनी बंदोबस्त संवत्2004–2023, जमाबंदी संवत् 2034–37 जमाबंदी संवत्2069–72, वसीयतनामा दिनांक 07.07.89, वसीयत नामा दिनांक 03.05.1951 की छायाप्रतियाँ पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न रजि स्टर चकबंदी मौजा जस्टाना में नाम चकदार में औंकार वल्द रौडया कौम ब्राहमण दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1667 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 2381 रकबा 1.15 हेक्टर कायम किया गया है। खेवट खतौनी संवत 2004–23 में खसरा नंबर 1667 बीरबल पुत्र औंकार राहिन कन्हैयालाल कोम ब्राहमण दर्ज है। खेवट खतौनी 2034–37 में खसरा नंबर 1667 बीरबल पुत्र कन्हैया मीना सा0 देह दर्ज है।पत्रावली में संलग्न वसीयतनामा के अनुसार औंकार वल्द रामचंद्र ब्राहमण द्वारा भूली के पक्ष में भूली बेवा प्रभूदयाल द्वारा कजोड़ उर्फ रामेश्वर प्रसाद पुत्र प्रभुदयाल ब्राहमण के पक्ष में वसीयत की गई।जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इसी भूमि के संबन्ध में एक दावा बीरबल बनाम मोती मु0 न0

(विजेन्द्र कुमार मीणा)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

114/14 न्यायालय हाजा में भी विचाराधीन है, जिसमें भी खातेदारी की घोषणा चाही गयी है। इस प्रकार राजस्व रिकार्डएवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के अपुसार प्राईमाफेसी यह स्पष्ट कोता है कि प्रार्थनना पत्र में वर्णित भूमि विवादित है जिसके खातेदारी अधिकारों के संबन्ध में अंतिम निर्णय तो दावा पत्रावली पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विस्तृत साक्ष्य वं विस्तृत विवेचन के उपरांत ही तय किया जाना संभव होगा लेकिन हमारी राय में वाद की बहुलता न हो एवं किसी भी पक्षकार के भूमि में निहित हित प्राभावित नहीं हो, इसलिए विवादित भूमि के रिकार्ड एवं मौके की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त ककववेचन के आधसार पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है कि पक्षकारान भूमि खसरा नंबर 2381 रकबा 1.15 हेक्टर वाके ग्राम जस्टाना के रिकार्ड एवं मौके की ताफैसला दावा यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जस्टाना में दिनांक 16/5/18 को सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीणा)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाईमाधोपुर

Scanned by CamScanner